



न्यायालय

मुख्य अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ (अलवर)

द संख्या :- 03 / 77 / 2025

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

ऑनलाईन नम्बर:-2025/387 प्रवेश तिथि:-17.09.2025

1. पटवारी हल्का अलेई जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

1. जितेन्द्र कुमार राजोरिया पुत्र मुन्शीलाल जाति जांगिड निवासी मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर वगैरे मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071-78 खाता संख्या 98 के अनुसार।

बनाम

.....अप्रार्थी



राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थित- तहसीलदार राजगढ़-प्रार्थी स्वयं- अप्रार्थी

:-निर्णय:-

दिनांक 18/11/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 293/0.20, 301/0.20 है0 वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन को खर्दु-बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 19.08.2025 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 293/0.20, 301/0.20 है0 वाके ग्राम मूनपुर में अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप विना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल करने व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना तामिल असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये और उनके द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल मिशाल है। जो निम्नानुसार है-

1. प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी खसरा संख्या 293/0.20, 301/0.20 है0 वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसकी किस्म बारानी उत्तम है। जो अप्रार्थीगण

मुख्य अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

जितेन्द्र कुमार, नालिन पुत्र हनुमान, भूपेन्द्र पुत्र भरतलाल, मनीष पुत्र हनुमान, मीनाक्षी पुत्री मुन्शीलाल, की खातेदारी की आराजी है। जिस पर गिन अप्रार्थी काविज होकर काश्त करता रहा है। अप्रार्थी को राज्य सरकार की ओर से खातेदारी को कृषि भूमि में कृषि करने का अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। जिसमें अप्रार्थी कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

2. उक्त आराजी का आज दिनांक तक अकृषि कार्य में प्रयोग नहीं किया गया है। इसका उपयोग कृषि कार्य कर फल व सब्जी का कार्य किया जाता है। जिससे अप्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैंने मेरे आराजी खसरा संख्या के चारो और चार दिवारी की हुई है। जिससे राज्य सरकार को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्लाटिंग कार्य नहीं किया जा रहा है। आज दिनांक तक कृषि कार्य कर रहा हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं उक्त आराजी पर प्लाटिंग कर रहा हूँ। उक्त विवादित आराजी का स्वरूप परिवर्तन कर मैंने अकृषि उपयोग नहीं किया गया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया गया।
3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।
4. बहस वकील अप्रार्थीगण की सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को मात्र दोहराया गया।
5. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 293/0.20, 301/0.20 है0 वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसकी किस्म चाही उत्तम है। कि मौके पर आराजी को समतल कर रखी है। जिस पर एक रहवासी हेतु मकान का कार्य किया जा रहा है। खेत पर जोत लगा रखी है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का प्लाटिंग कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः—

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र आराजी खसरा संख्या 293/0.20, 301/0.20 है0 वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो। यह आदेश आज दिनांक 18/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला-अलवर